

फैक्स सीट

1-परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नाकुरी-सिगोट मोटर मार्ग से पाव मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.30 किमी०) हेतु सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(कुल सिविल सोयम भूमि 1.092 है०)

2. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (है० में):-

आरक्षित वन भूमि	- 0.00 है०
सिविल एवं सोयम वन भूमि	- 1.092 है०
वन पंचायत भूमि	- 0.00
निजी भूमि	- 2.466 है०
योग	- 3.558 है०

3. प्रस्तावक विभाग का नाम - पी० एम० जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड,
उत्तरकाशी

4. वन प्रभाग का नाम	- उत्तरकाशी वन प्रभाग, उत्तरकाशी	
5. प्रस्ताव वाइडिंग किया गया है	-	हाँ/नहीं हाँ
6. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है	-	हाँ/नहीं हाँ
7. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग 1, 2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गई है	-	हाँ/नहीं हाँ
8. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है	-	हाँ/नहीं हाँ
9. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है	-	हाँ/नहीं हाँ
10. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है	-	हाँ/नहीं हाँ
11. बांज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है	-	हाँ/नहीं हाँ....
12. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का क्या प्रयास किया गया है	-	वृक्षों की संख्या न्यूनतम है।
13. संरक्षण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है	-	हाँ/नहीं हाँ
14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है	-	हाँ/नहीं हाँ
15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है	-	हाँ/नहीं हाँ
16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है	-	हाँ/नहीं हाँ
17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर/परियोजना के आस पास रिक्त पड़े स्थानों की वृक्षारोपण योजना संलग्न है	-	हाँ/नहीं हाँ
18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है	-	हाँ/नहीं नहीं
19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कोरीडोर का हिस्सा है यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण	-	हाँ/नहीं नहीं

पत्र संलग्न है	-	हाँ/नहीं	नहीं
20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों से सही भरा गया है	-	हाँ/नहीं	हाँ
21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है	-	नया प्रस्तावित मार्ग है।	
(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)	-	हाँ/नहीं	
22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है	-	हाँ/नहीं	हाँ
23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस माप को मानचित्र पर दर्शाया गया है	-	हाँ/नहीं	हाँ
24. क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है	-	हाँ/नहीं	नहीं
25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय	-	उल्लंघन नहीं हुआ है।	
26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गई अन्य सम्भावनाएँ/वैकल्पिक संरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं	-	हाँ/नहीं	हाँ
27. वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)	-	विस्तृत नोट प्रस्ताव के पृष्ठ सं०	में संलग्न है।
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है (5 है० से अधिक के प्रकरणों में लागू होगा)	-	लागू नहीं है।	
29. मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है	-	हाँ/नहीं	हाँ
30. मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है	-	हाँ/नहीं	हाँ
31. राज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है	-	हाँ/नहीं	हाँ
32. क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियाँ मूल में संलग्न हैं (यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं)	-	हाँ/नहीं	हाँ
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है	-	हाँ/नहीं	लागू नहीं है।
34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है	-	हाँ/नहीं	हाँ
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है	-	हाँ/नहीं	हाँ
36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न हैं	-	हाँ/नहीं	हाँ

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है व समस्त प्रमाण-पत्र/सूचनाएँ संलग्न कर दी गई हैं।

अधिशाली अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

Kuldeep
JE.

अधिशाली अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी

अधिशाली अभियन्ता,
पी० एम० जी० एस० वाई०,
सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी